पत्रांक– 11 न0वि0 अभि0(को0) 10/2018 1387 न0वि0 एवं आ0वि0

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, पूर्णियाँ।

कार्यपालक अभियंता,
जिला शहरी विकास अभिकरण,
पूर्णियाँ।

पटना, दिनांक–01/11/18

विषयः– ई–टेंडरिंग पद्धति द्वारा नगर निगम, पूर्णियाँ अन्तर्गत निविदा आमंत्रण सूचना सं0–07/2017–18 के ग्रुप सं0–47 के कार्य वार्ड सं0–35 में नया टोला हॉसदा विजय सिंह के घर से हॉसदा रोड भाया शंकर जयसवाल के घर तक, प्रणव सिंह के घर से अनोज दास के घर तक, श्री उरांव दमका के घर से छेठी लाल उरॉव के घर तक और कैलश कृष्णमूर्ति हासदा के घर से महेश रजक के घर तक और मुंशीबारी राम प्रसाद उरॉव के घर से स्व0 भोक्ता उरॉव के घर तक पक्कीकरण कार्य के लॉट्री के संबंध में।

प्रसंगः– नगर आयुक्त, नगर निगम, पूर्णियाँ का पत्रांक–436 दिनांक–23.05.2018, पत्रांक–683 दिनांक–14.08.2018 एवं इस कार्यालय के पत्रांक–747 दिनांक–18.06.2018 एवं पत्रांक–754 दिनांक–19.06.2018 तथा पत्रांक–1010 दिनांक–09.08.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में प्राप्त परिवाद की समीक्षा मुख्य अभियंता के स्तर पर गठित परिवाद समिति द्वारा दिनांक–28.09.2018 को आहूत बैठक में की गयी।

उपरोक्त के आलोक में निविदाकारों के निविदा कागजातों की पुर्नमूल्यांकन किया गया तथा समीक्षोपरान्त परिवादी/आपत्तिकर्त्ता (1) श्री फिरोज अंसारी, (2) श्री अशोक कुमार सिंह, (3) वसीम कन्सट्रक्शन (4) श्री सन्नी विशाला के निविदा कागजातों एवं (1) श्री ऋषिकेश कुमार एवं (2) श्री प्रमोद कुमार सिंह द्वारा दिये गये को निविदा आमंत्रण सूचना के शर्त्तों के अनुरूप नहीं पाये जाने के आलोक में उक्त परिवाद/आपत्ति को अमान्य करने तथा (1) श्री दीपक कुमार (कोशी कॉलोनी) के निविदा कागजातों को निविदा आमंत्रण सूचना के शर्त्तों के अनुरूप पाये जाने के आलोक में उक्त परिवाद/आपत्ति को मान्य करने की अनुशंसा की गयी, जिस पर विभागीय अनुमोदन प्राप्त है।

उक्त के आलोक में संशोधित मान्य/अमान्य निविदाकारों की सूची निम्नवत् हैः–

ग्रुप सं0	कार्य का नाम	मान्य निविदाकार (निविदा आमंत्रण सूचना के शर्तो को पालन करने के कारण।	अमान्य निविदाकार (निविदा आमंत्रण सूचना के कंडिकाओ का अनुपालन नहीं करने के कारण)
47.	नगर निगम, पूर्णियाँ अन्तर्गत वार्ड सं0–35 में नया टोला हॉसदा विजय सिंह के घर से हॉसदा रोड भाया शंकर जयसवाल के घर तक, प्रणव सिंह के घर से	**(1) श्री संजय कुमार पाण्डेय** **उद्धृत दरः–** B.O.Q से 10% कम दर पर **(2) श्री मनोज कुमार चौधरी** **उद्धृत दरः–** B.O.Q से 10% कम दर पर **(3) मे0 सिद्धिविनायक इन्टरप्राईजेज**	**(1) फिरोज अंसारी** **उद्धृत दरः–** B.O.Q से 10% कम दर पर कंडिका 18–1(क) एवं (ख) का अनुपालन नहीं करने के कारण। (वांछित अग्रधन की राशि 98,200/– रूपये मात्र के विरूद्ध मात्र 70,000/–

	अनोज दास के घर तक, श्री उराूव दमका के घर से छेठी लाल उराॅव के घर तक और कैलश कृष्णमूर्ति हासदा के घर से महेश रजक के घर तक और मुंशीबारी राम प्रसाद उराॅव के घर से स्व0 भोक्ता उराॅव के घर तक पक्कीकरण कार्य।	**उद्धृत दरः**– B.O.Q से 10% कम दर पर **(4) श्री दीपक कुमार (सर्वोदय नगर)** **उद्धृत दरः**– B.O.Q से 10% कम दर पर **(5) श्री दीपक कुमार (कोशी कॉलोनी)** **उद्धृत दरः**– B.O.Q से 10% कम दर पर	रूपये मात्र की अग्रधन की राशि ही अपलोड रहने के कारण पथ निर्माण विभाग के पत्रांक–12197(S) दिनांक–23.11.2012 के आलोक में अमान्य) **(2) श्री अशोक कुमार सिंह** **उद्धृत दरः**– B.O.Q से 10% कम दर पर कंडिका 18–4(ड़) का अनुपालन नहीं करने के कारण। (नोजल भाइब्रेटर का प्रमाणक संलग्न नहीं रहने के कारण) **(3) वसीम कन्सट्रक्शन** **उद्धृत दरः**– B.O.Q से 10% कम दर पर कंडिका 18–4(ड़) का अनुपालन नहीं करने के कारण। (नोजल भाइब्रेटर का प्रमाणक संलग्न नहीं रहने के कारण) **(4) श्री सन्नी विशाल** **उद्धृत दरः**– B.O.Q से 10% कम दर पर अमान्य कंडिका 18–4(ड़) का अनुपालन नहीं करने के कारण। (नोजल भाइब्रेटर का प्रमाणक संलग्न नहीं रहने के कारण) **(5) श्री विजय कुमार झा** **उद्धृत दरः**– B.O.Q से 10% कम दर पर कंडिका 18–4(ड़) का अनुपालन नहीं करने के कारण। (नोजल भाइब्रेटर का प्रमाणक संलग्न नहीं रहने के कारण)

उपरोक्त 10 निविदाकारों में से 05 निविदाकारों की निविदा मान्य है।

उक्त मान्य पाँचों निविदाकारों का उद्धृत दर एकसमान (परिमाण विपत्र की राशि से 10% कम) रहने के कारण उनके बीच सफल निविदाकार का चयन करने हेतु निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार लौट्री की प्रक्रिया अपनायी जाएगी।

उल्लेखनीय है कि कार्यपालक अभियंता, डुडा, पूर्णियां द्वारा अनुमोदित परिमाण विपत्र में 1 मद L/S के आधार पर (एक मुश्त राशि) अनुमोदित है, जिसे हटाते हुए संशोधित परिमाण विपत्र की राशि 48,81,907/– रूपये मात्र मानी जायेगी एवं उक्त राशि के आधार पर ही कार्य आवंटन राशि की गणना की जायेगी।

लॉट्री की प्रक्रिया दिनांक–16.11.2018 को 4:30 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में किया जायेगा। निदेश दिया जाता है कि उक्त मान्य निविदाकारों को अपने स्तर से उक्त तिथि को ससमय लॉट्री में भाग लेने हेतु सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति ससमय इस कार्यालय में सुनिश्चित करायी जाय।

विषयांकित योजना हेतु इस कार्यालय द्वारा निर्गत पत्रांक–747 दिनांक–18.06.2018 को इस हद तक संशोधित किया जाता है।

विश्वासभाजन

(ह0) 7/11/18

अधीक्षण अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग